रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2011/चैत्र 14, 1933
No. 67] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2011/CHAITRA 14, 1933

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2011

(2011 की सं. 1)

फा. सं. एल-3(2)/विनि-सा. (संशो.)/2009-10/सीसीआई .—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में,-

(1) विनियम 20 में,-

(क) उपविनियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि जब कभी आवश्यक समझा जाए, महानिदेशक गोपनीयता बनाए रखने के लिए अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत कर सकेगा । दोनों में से एक भाग में ऐसे दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे, जिन तक पक्षकारों को पहुंच प्रदान की जा सकेगी और दूसरे भाग में गोपनीय और वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना और ऐसे दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे जिन तक पहुंच को आंशिक रूप से या पूर्णतया निर्बंधित किया जा सकेगा ।"

(ख) उपविनियम (5) में, "आठ प्रतियां" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतियां" शब्द रखे जाएंगे ;

(2) विनियम 21 के उपविनियम (1) में "उसकी प्रतियां" शब्दों के स्थान पर, "उसके अगोपनीय पाठ की प्रतियां" शब्द रखे जाएंगे ;

(3) विनियम 29 के उपविनियम (1) के परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(4) विनियम 35 में,-

(क) उपविनियम (7) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपविनियम (8) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु यह कि, यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक, यदि उसका समाधान हो जाता है तो किसी ऐसी अन्य सूचना या दस्तावेज या उसके किसी भाग को भी, जिसके संबंध में, ऐसी सूचना या दस्तावेज को प्रस्तुत करने वाले पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है, गोपनीय व्यवहार प्रदान कर सकेगा ।";

(ग) उपविनियम (12) का लोप किया जाएगा ;

(5) विनियम 37 में,-

(क) उपविनियम (1) में,-

(i) "विनियम 35" शब्द और अंक के पश्चात् "और धारा 57" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "51" अंकों के स्थान पर, "50" अंक रखे जाएंगे ;

(iii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

" परंतु यह और कि आंतरिक दस्तावेजों के निरीक्षण या उनकी प्रमाणित प्रतियों के लिए किसी अनुरोध को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा";

(ख) उपविनियम (2) में, "51" अंकों के स्थान पर, "50" अंक रखे जाएंगे ;

(6) विनियम 38 का लोप किया जाएगा ;

(7) विनियम 46 में,-

(क) उपविनियम (1) में, "विनिर्दिष्ट रीति में मुख्तारनामा या वकालतनामा" शब्दों के स्थान पर, "एक पत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपविनियम (2) में, "मुख्तारनामा या वकालतनामा" शब्दों के स्थान पर, "प्राधिकार पत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

(8) विनियम 48 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) अधिनियम के अधीन विरचित किसी विनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश या निदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी व्यक्ति या उद्यम या कार्यवाहियों के किसी पक्षकार को आयोग की सामान्य बैठक के दौरान, कारण बताओ सूचना जारी न की गई हो और आयोग के समक्ष उसके मामले का प्रतिनिधित्व करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो ।"

IndiaCode

(9) विनियम 50 के उपविनियम (2) में, "50 रुपए प्रति पृष्ठ" शब्दों के स्थान पर, "बीस रुपए प्रति पृष्ठ" शब्द रखे जाएंगे ।

एस. एल. बुनकर, सचिव
[विज्ञापन III/4/69 जेड बी/10/असा.]

टिप्पण : भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 22 मई, 2009 में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 20 अगस्त, 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एल-3(2)/रजि.-साधा. (संशो.)/2009-10/सीसीआई द्वारा और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 20 अक्तूबर, 2010 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एल-3(2)/रजि.-साधा. (संशो.)/2009-10/सीसीआई द्वारा संशोधित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2011
(No. 1 of 2011)

F. No. L-3(2)/Regln-Gen.(Amdt.)/2009-10/CCI.— In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, namely:-

1. (1)These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2011.
 (2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009,---

 (1) in regulation 20,-

 (a) in sub-regulation(4) the following proviso shall be inserted, namely:-

 "Provided that when considered necessary, the Director General may, for maintaining confidentiality, submit his report in two parts. One of the parts shall contain the documents to which access to the parties may be accorded and another part shall contain confidential and commercially sensitive information and documents to which access may be partially or totally restricted."

(b) in sub-regulation (5), for the words "Eight copies", the words "Ten copies" shall be substituted ;

(2) in regulation 21, in sub-regulation (1) after the words "forward copies", the words "of non-confidential version" shall be inserted;

(3) in regulation 29, in sub-regulation (1), the proviso shall be omitted;

(4) in regulation 35,

(a) sub- regulation (7) shall be omitted;

(b) in sub-regulation (8), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Commission or the Director General, as the case may be, if satisfied, may give such confidential treatment to any other information or document or part thereof also in respect of which no request has been made by the party which has furnished such information or the document."

(c) sub- regulation (12) shall be omitted;

(5) in regulation 37, -

(a) in sub-regulation (1),-

(i) after the words "provisions of" the words and figures "section 57 and" shall be inserted;

(ii) for the figures "51", the figures "50" shall be substituted;

(iii) the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided further that no request for inspection or certified copies of internal documents shall be allowed";

(b) in sub-regulation (2), for the figures "51", the figures "50" shall be substituted;

(6) regulation 38 shall be omitted;

(7) In regulation 46,-

(a) in sub-regulation (1), for the words "power of attorney or Vakalatnama in the manner specified", the letter and word, "a letter" shall be substituted;

(b) in sub-regulation (2), for the words "power of attorney or Vakalatnama", the words, "authorization letter" shall be substituted;

(8) in regulation 48, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any regulations framed under the Act, no order or direction imposing a penalty under Chapter VI of the Act